Form no. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

जगराज सिंह पुत्र मेजरसिंह जाति जटसिख निवासी 22 ऐपीडी तहसील अनूपगढ़

बनाम

दईराम पुत्र शेराराम (फौत) जरिये सन्दोखी पत्नी दईराम जाति मेघवाल साकिन मलखेडा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ व अन्य

किस्म मुकदमाः–11, 14 उपनिवेशन अधिनियम प्रकरण सं.–133 /2011

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
16.06.2023	पत्रावली वास्ते बहस पेश हुई। उभय पक्ष हाजिर। बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 01 दईराम पुत्र शेराराम के नाम से चक 22 एपीडी मुरब्बा न. 283/412 किला न. 19 ता 25 की 7 बीघा कमाण्ड़ भूमि जरिये आवंटन आदेश बी108/09.7.1976 से पुख्ता आवंटन की गई तथा इस भूमि की कीमत निर्धारित की गई। आवंटी द्वारा आज दिनांक तक उक्त भूमि का कब्जा नहीं लिया गया तथा ना ही कोई किश्त खजाना राज में जमा करवाई गई। दईराम नाम का कोई व्यक्ति वास्तव में है ही नहीं। किसी फर्जी व्यक्ति ने देईराम की वोटर लिस्ट लेकर आवंटन अधिकारी को धोखे में रखकर यह आवंटन करवाया है। अगर देईराम वास्तव में स्वयं इस भूमि को आवंटन करवाता तो वह इस भूमि का कब्जा जरूर लेता और किश्ते खजाना राज में जमा करवाता। भूमि आवंटन हुए 35 वर्ष हो गये है लेकिन इतने लम्बे समय से देईराम नाम को कोई भी व्यक्ति वादाधीन भूमि में नही आया। अतः उक्त आवंटन खारिज किया जाकर जैर प्रकरण भूमि रकबा राज घोषित की जावे। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 01 के फौत होने पर उसके वारिसान को पक्षकार बनाया जाकर बतौर अप्रार्थीगण संख्या 1/1 ता 1/4 संयोजित किया गया। वकील अप्रार्थीगण संख्या 1/1 ता 1/4 ने दौरान बहस जवाब दिनांक 17.9.2012 में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि आवंटिती देईराम ने जैर प्रकरण भूमि आवंटन होते ही कब्जा प्राप्त कर काश्त प्रारम्भ कर ली थी। लेकिन कुछ समय पश्चात् आवंटी बीमार हो गये तथा मानसिक रूप से परेशान रहने लगे। आवंटन कागजात गुम हो जोने के कारण हमे कुछ पता नहीं लग सका। आवंटी देईराम की मृत्यु दिनांक 15.9.2002 को हो गई। अप्रार्थीगण संख्या 1/1 ता 1/4 को उक्त आवंटन की कोई जानकारी नहीं होने कारण किश्ते खजानाराज में जमा नहीं करवाई जा सकी। अब हमे पता लगने के बाद हमने उक्त भूमि की किश्ते जमा करवाने हेतु आवंटन अधिकारी अनूपगढ़ के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया, जो जैरकार है। उक्त आवंटन सही आधारों पर सही व्यक्ति को ही हुआ था। आवंटन दईराम के नाम से आज भी चल रहा है तथा जैर अपील रकबा आज भी राजस्व रिकार्ड में दईराम के नाम से दर्ज है। उपरोक्त आवंटन किसी सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। प्रार्थी का उपरोक्त भूमि में किसी प्रकार का कोई हक निहित नहीं है। प्रार्थी जाति से जटसिख है तथा उपरोक्त कृषि भूमि हरीजन व्यक्ति के नाम से है जिस पर प्रार्थी ने नाजायज रूप से कब्जा कर रखा है। उपरोक्त कृषि भूमि प्रार्थी के नाम से नहीं हो सकती। इसी कारण प्रार्थी इस शिकायत के मार्फत आवंटन निरस्त करवा कर स्वयं आवंटन करवाना चाहता है। अतः [illegible] होने से निरस्त किया जावे। हमने उभय पक्ष की बहस पर [illegible] तथा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। प्रार्थी का कथन [illegible] देईराम के नाम से किसी अन्य व्यक्ति ने आवंटन करवाया है, इस [illegible] में मूल आवंटन पत्रावली अवलोकन से पाया कि मूल आवंटी देईराम [illegible] नाम अन्तोदय योजना अन्तर्गत चयनित होने तथा राजस्थान का मूल निवासी होने पर एवं आवंटी का नाम लोटरी मे आने पर आवंटन सलाहकार समिति की सलाह से ही उसे जैर अपील रकबा आवंटित किया गया है तथा समस्त दस्तावेजात पर देईराम के ही अगुंठा निशान है। उक्त आवंटन पूर्ण जांच कर नियमानुसार ही किया गया	

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Lakhani
Date: 2023.08.04 10:26:28 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,

Scanned with OKEN Scanner

है जिसमें हम हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11,14 उपनिवेशन अधिनियम खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली बाद तकमील तरतीब नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अरविन्द कुमार जाखड)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.08.04 10:26:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner